संख्या-13/2023/66/बावन-1-2023-06(पी.एम.जे.वी.के.)/22

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,

लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 18 जनवरी, 2023**

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 35वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 09.12.2021 द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत **जनपद सहारनपुर के गंगोह में 50बेडेड वर्किंग वूमेन हास्टल** के निर्माण के प्रथम किश्त केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-854/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0(376)/ 2021-22 दिनांक 28.05.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत परियोजना की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्गत मिनट के पत्र संख्या-13/22/2021-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 10.06.2022 के एनेक्जर-II में 35वीं इम्पावर्ड कमेटी में स्वीकृत जनपद सहारनपुर के गंगोह में 50बेडेड वर्किंग वूमेन हास्टल के निर्माण के लिये **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी सघं लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) को** कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 171.30 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत केन्द्रांश **रू0 85.65 लाख (रूपये पचासी लाख पैसठ हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के नवीन लेखा शीर्षक-**4235-02-800-01-0125** में पुनर्विनियोग **(संलग्न बी0एम0-09 प्रपत्र)** द्वारा व्यवस्थित धनराशि रू0 **252.435** लाख जिसे अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 पत्र दिनांक 30.09.2022 द्वारा एस0एन0ए0 खातें में

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तरित धनराशि में से निम्न विवरणानुसार आहरित कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(के0-60/रा0-40) (धनराशि रू0 लाख में)

सूची क्र0 सं0	जनपद	ब्लाक	परियोजना का नाम	इकाई	इकाई लागत	परियोजना की अनुमोदित धनराशि			भा0 स0 की 32वीं एवं 35वीं ई0सी0 में समर्पित धनराशि के सापेक्ष समायोजित प्रथम किश्त केन्द्रांश	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित प्रथम किश्त		
						केन्द्रांश	राज्यांश	कुल लागत		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल (के0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहारनपुर	गंगोह	50 बेडेड वर्किंग वूमेन हास्टल	1	285.50	171.30	114.20	285.50	85.65	85.65	0.00	**85.65**
		योग		**1**						85.65	0.00	**85.65**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022 एवं 10.11.2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(3)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(4)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी सघं लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(10) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11)कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(12) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(13) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(16) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(17) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(18) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(19) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

http://snasanadesh.up.gov.in

(20)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश **दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022 एवं 10.11.2022** में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(21)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्त्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(22)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(23)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(24) प्रश्नगत परियोजनाओं की अवमुक्त प्रथम किश्त सम्बन्धित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं 08.11.2022 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-66(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत 50बेडेड वर्किंग वूमेन हस्टल के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6. निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रश्नगत 50बेडेड वर्किंग वूमेन हस्टल के निर्माण हेतु समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **सहारनपुर**।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in